न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/27 **दायरा दिनांक : 18.02.2025**

उनवान

आकिल खान पुत्र अकबर खान, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड, राज० हाल निवास विज्ञान नगर, इन्द्रा कोलोनी, 136 शहर कोटा, जिला कोटा राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. आरिफ खान पुत्र अकबर खान, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, झालावाड हाल निवासी मोहल्ला पीलापाना, झालावाड, जिला झालावाड राज०
2. आबिद खां पुत्र अकबर खां, जाति मुसलमान, निवासी होटल कृष्णा पेलेस के पास, झालावाड, जिला झालावाड राज०
3. उदल पुत्र बीसनाथ, जाति यादव (अहीर), निवासी मछली गांव नानकर, तहसील मनीकापुर, जिला गोडा उत्तरप्रदेश
4. जनार्दन यादव पुत्र बुद्धा यादव, जाति यादव (अहीर), निवासी बत्तीस सूरज नगर, इन्दौर मध्य प्रदेश
5. रामपाल यादव पुत्र मुक्तिनाथ, जाति यादव (अहीर), निवासी नरकटहा बाजार, तहसील महराजगंज, जिला महराजगंज उत्तर प्रदेश
6. चन्दन शुक्ला पुत्र वेदप्रकाश शुक्ला, जाति ब्राह्मण, निवासी रामद्वारा चौराहा, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
7. मनीष सुमन पुत्र जगदीशचंद सुमन, जाति माली, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अकलेरा,तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चूलाल व सुश्री भगवती अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 10.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या –76/प्रार्थना पत्र/2023 निर्णय दिनांक 08.01.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट नेएक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आर्डर 39 नियम 1 व 2 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुजरी पटवार हल्का अकलेरा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 13 की पुरानी 12 की विभिन्न खसरा नं. 16 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नं. 225/14 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नं. 533/14 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नं. 534/16 रकबा 0.4290 हैक्टेयर कुल जुम्ला 4 किता रकबा 1.5864 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 के शामलाती खाते की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2025से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955के प्रावधानों पर उचित गोर नहीं फरमाया जाकर मात्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना की सुनवाई का अधिकार है या नहीं, इस बाबत तनकीयात कायम कर एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य के बाद ही क्षेत्राधिकार का बिन्दु तय किया जा सकता है इस कानूनी बिन्दु पर उचित गौर नहीं फरमाया जो अवैधानिक है।अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत घोषणा बंटवारा अंतर्गत 88,89 91, 92–ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 केतहत पेश किया गया था एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय शिड्यूल के मुताबिक वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र का मेरिट के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था एवं पक्षकारों के हितों को देखते हुये विवादित आराजी के मामले में विवादित आराजी को किसी भी तरह से हस्तांतरण न करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना चाहिये था। अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेरा क्रम–1 में वर्णित कृषि भूमि कुल 04 किता की 1.5864 हैक्टर के बारे में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही थी, राजस्व अभिलेख के मुताबिक विवादित आराजी कृषि भूमि दर्ज है, कृषि भूमि के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को ही सुनवाई करने का अधिकार है। कानूनी प्रावधानों के तहत कृषि भूमि के बारे में सिविल न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।अपीलान्ट के पिता के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 28.02.2006 की शर्तों के मुताबिक विवादित आराजी के मामले में अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस था, एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने मे त्रुटि की है।अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.01.2025 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर रेस्पो०को पांबद किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 1 मे वर्णित आराजी को किसी भी तरह हस्तांतरण न करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 के स्वर्गीय पिता अकबर खान मुसलमान के खाते में स्थित थी जो नामान्तरकरण संख्या 673 दिनांक 18.03.2014 से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 2 के सम्भाग से खाते में दर्ज हुयी प्रार्थी के पिता अकबर खान ने अपनी सम्पत्ति के मामले में दिनांक 28.02.2006 को एक अंन्तिम वसीयत निष्पादित की थी और वसीयत के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 व 2 तथा अन्य वारिसान ने अकबर खां के द्वारा छोडी गई सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त किया, वसीयत में स्पष्ट उल्लेख किया था कि अकबर खां की खान ग्राम पोली मे स्थित थी जो उसने अपने पुत्र आरिफ खां को दिला रखी थी। उक्त खान में श्रीलाल मीणा के एरिया समाप्त होने पर 100 फीट का एरिया आरिफ खान अपने बडे भाई आकिल खान प्रार्थी के नाम करवा देगा तथा आधी किश्त भी देगा यदि आरिफ खान 100 फीट का एरिया आखिल खान को नहीं देता तो उसके बदले में उसका खेत देना होगा, इस कृषि भूमि में वसीयत की शर्त पूरी करने के बाद ही हिस्सा दिये जाने का प्रावधान था, परन्तु आरिफ खान के द्वारा वसीयत की शर्त का पालन नहीं किया गया और उक्त खान को अनिल रामडिया को ट्रान्सफर करदी एवं अप्रार्थी आरिफ विवादित आराजी में वसीयत की शर्त के मुताबिक अपना 1/3 हिस्सा आराजी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित करने की कोशिश में है अप्रार्थी क्रम 6 व 7 आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये है। अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित उसके हिस्से की आराजी को अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानकर निर्णय पारित कर दिया कि वसीयत की पालना करवाने हेतु प्रार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये परन्तु कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 08.01.2025 के विरूद्धयह अपील पेश की गयी है।अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर उचित गौर फरमाये बिना ही क्षेत्राधिकार के बिन्दु केआधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट के दावे की सुनवायी का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं इस बाबत तनकी कायम करने के बाद एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य के बाद ही यह बिन्दु तय किया जा सकता है। क्षेत्राधिकार का मामला धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता।अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत घोषणा एवं बंटवारा के तहत पेश किया गया था एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तथ्य के शिड्यूल के मुताबिक वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि के मामले में स्थायी निषेधाज्ञा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जा सकती इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थन्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया।अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पैरा क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि कुल 4 किता की 1.5864 हैक्टर के बारे में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही थी, राजस्व अभिलेख के मुताबिक विवादित आराजी कृषि भूमि दर्ज है जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है।अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दुओं का निर्णय प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में नहीं करने में त्रुटि की है इनका निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख पर उचित गौर नहीं फरमाया। तीनों बिन्दुओं पर प्रार्थी की बहस निम्न है–प्रथम दृष्टया केस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से पूर्णतया साबित था कि अपीलान्ट/प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 विवादित आराजी के 1/3,1/3 हिस्से के खातेदार है एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 28.02.2008 की शर्त के मुताबिक अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से उसके हिस्से की आराजी शर्त के मुताबिक प्राप्त करने का अधिकारी था, आराजी प्राप्त होगी या नहीं यह बिन्दु मूल वाद में तय होगा। परन्तु प्रथम दृष्टया यह साबित था कि अप्रार्थी क्रम 1 विवादित आराजी बेचने को पूर्ण तत्पर है और प्रार्थी ने 1/3 हिस्से में से 1/6 भाग रेस्पोडेन्ट क्रम 6 व 7 को बेचान भी कर दिया है और यदि दौराने वाद सम्पूर्ण आराजी का बेचान आप्रार्थी क्रम 1 ने कर दिया तो प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करना ही बेकार हो जावेगा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी यह माना है कि वसीयत बशर्त है जिसमे कृषि भूमि का विवरण है परन्तु पालना के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय की शरण लेना मानकर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो अवैधानिक है जबकि अपीलान्ट के द्वारा कृषि भूमि के बारे में ही वाद पेश किया और कृषि भूमि के बारे में ही अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को वसीयत के आधार पर प्रकरण की सुनवायी का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था और कानूनन कृषि भूमि के बारे में अस्थायी निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जा सकती। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्ट का केस प्रथम दृष्टया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालयने प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट के पक्ष में न मानने में त्रुटि की है।

अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन उक्त दोनों बिन्दु भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष मे तय नहीं किये जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 28.02.2006 से यह स्पष्ट था कि उक्त वसीयतनामा सशर्त था, यह वसीयतनामा इकरारनामा नही था ऐसी स्थिति में विवादित कृषि भूमि के मामले में सुनवायी करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था, अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 भाई है, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपना 1/3 में से 1/6 हिस्सा रेस्पोडेन्ट क्रम 6 व 7 को बेच भी चुका है और यदि शेष आराजी भी दौराने वाद बेचदी गयी तो अपूर्णनीय क्षति भी अपीलान्ट/प्रार्थी को ही होगी एवं असुविधाका सामना भी अपीलान्ट को करना पडेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया केस मानते हुए अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन यह दोनों बिन्दु भी अपीलान्ट के पक्ष में तय किये जाने चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर कानूनी त्रुटि की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र बहुत ही लिमिटेड है। बहस में अपीलान्ट ने ऐसा कोई आधार अथवा कानूनी आधार का उल्लेख नहीं किया है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावे।अतः लिखित बहस पेश कर निवदन है कि अपीलान्ट की अपील मय खर्चाखारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में डी एन जे (एस. सी.) 1997 पेज 6 व आर.आर.आर. 1995(1) पेज 141 की नजीर उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम गूजरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड की खाता संख्या 13 खसरा नं. 16, 225/14, 533/14, 534/16 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हेक्टर आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उपरोक्त आराजी में निहित उसके हिस्से की 1/3 भाग आराजी का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचान, दान, रहन हस्तान्तरण नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी खाता संख्या 13 संवत 2075–2078 के अनुसार विवादित आराजी में अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 आरिफ खान पुत्र अकबर खां का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 के मध्य विवाद कृषि भूमि से सम्बन्धित नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वसीयतनामे की शर्तों की पालना नहीं करने से उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी अपीलांट के पिता अकबर खां ने अपनी सम्पत्ति के संबंध में दिनांक 28.02.2006 को एक अंतिम वसीयत निष्पादित की थी और वसीयत के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण कम 1 व 2 तथा अन्य वारिसान ने अकबर खां के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त किया। वसीयत में स्पष्ट उल्लेख किया था कि अकबर खां की खान ग्राम पोली में थी, जो उसने अपने पुत्र आरिफ खान को दिला रखी थी उक्त खान में श्रीलाल मीणा के ऐरिया समाप्त होने पर 100 फीट का ऐरिया आरिफ खान अपने बडे भाई आकिल खान के नाम करवा देगा तथा आधी किश्त भी देगा, यदि आरिफ खान 100 फीट का ऐरिया आकिल खान को नहीं देता है तो उसके बदले में उसका खेत देना होगा। इस प्रकार कृषि भूमि में वसीयत की शर्त पूरी करने के बाद ही हिस्सा दिये जाने का प्रावधान रखा गया था परन्तु आरिफ खान द्वारा वसीयत की शर्त का पालन नहीं किया गया और उक्त खान को अनिल रामडिया को ट्रांसफर कर दी एवं अप्रार्थी आरिफ विवादित आराजी में वसीयत की शर्त के विरूद्ध अपना 1/3 हिस्से की आराजी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने की कोशिश में है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थी अपीलांट के उक्त कथन से यह स्वतः स्पष्ट है कि विवाद वसीयत में खान के हिस्से को लेकर अंकित शर्तों की पालना नहीं करने से संबंधित है। वसीयत में खान के बंटवारे को लेकर अंकित शर्तों की पालना नहीं होने के कारण उत्पन्न विवाद के मुकदमें में सुनवायी का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में स्वयं अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 कायम 2 के स्वर्गीय पिता अकबर खां पुत्र मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा के खातेदार की थी जो नामान्तरकरण सं. 673 से दिनांक 18.03.2014 से प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 के संभाग में खाते दर्ज हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को विरासत से प्राप्त होकर सहखातेदारी में दर्ज हुई और विवाद खान के विक्रय से उत्पन्न हुआ है। जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 13 में अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होने एवं कृषि आराजी के टाइटल को लेकर कोई विवाद नहीं होने के कारण सहखातेदार अप्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा